संख्या- 5/2018/ 569/53-2-18-2(44)/15

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक- 12अप्रैल, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16 के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग के पत्रांक-06/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-सामान्य(224)/2018-19, दिनांक-06 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी इनपुट योजना चलाये जाने हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात रू0 125.00 लाख (रू0 एक करोड पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु **संलग्नक** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(3) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेगे।

(5) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेगें।

(6) दवाओं आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(7) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बहीखाते एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगें।

(8) धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। अगली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व गत वर्ष की वित्तीय स्वीकृति एवं उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0301-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या- 5/2018/569(1)/53-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2018/569/53-2-18-2(44) /15 दिनांक 12 अप्रैल, 2018 का संलग्नक वित्तीय वर्ष 2018-19 में तकनीकी निवेश कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

जिला योजना (सामान्य)

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	नाम जनपद	आहरण वितरण अधिकारी निर्वतन अधिकारी का पदनाम	पशु स्वास्थय कार्यक्रम						कुल धनराशि
			डिवर्मिंग		थनैला नियंत्रण		टिक कन्ट्रोल		
			भौतिक संख्या	धनराशि दर 20 /-	भौतिक संख्या	धनराशि दर 81/-	भौतिक संख्या	धनराशि दर 24/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मैनपुरी	उप दु0वि0अ0 मैनपुरी	809	16.180	83	6.723	169	4.056	**26.959**
2	आगरा	दु0वि0अ0 आगरा	4519	90.380	465	37.665	942	22.608	**150.653**
3	मथुरा	तदैव	5010	100.200	515	41.715	1031	24.744	**166.659**
4	फिरोजाबाद	तदैव	2635	52.700	271	21.951	549	13.176	**87.827**
5	अलीगढ	तदैव	5666	113.320	583	47.223	1180	28.320	**188.863**
6	एटा	तदैव	2710	54.200	279	22.599	565	13.560	**90.359**
7	झांसी	उप दु0वि0अ0 झांसी	1926	38.520	198	16.038	401	9.624	**64.182**
8	ललितपुर	तदैव	2452	49.040	252	20.412	511	12.264	**81.716**
9	जालौन	उप दु0वि0अ0 जालौन(उरई)	1658	33.160	171	13.851	345	8.280	**55.291**
10	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	1963	39.260	202	16.362	409	9.816	**65.438**
11	चित्रकूट/कर्वी	उप दु0वि0अ0 बांदा	747	14.940	77	6.237	156	3.744	**24.921**
12	बांदा	तदैव	723	14.460	74	5.994	151	3.624	**24.078**
13	लखनऊ	दु0वि0अ0 लखनऊ	38801	776.020	3992	323.352	8083	193.992	**1293.364**
14	रायबरेली	तदैव	4241	84.820	436	35.316	883	21.192	**141.328**
15	हरदोई	तदैव	1650	33.000	170	13.770	344	8.256	**55.026**
16	उन्नाव	तदैव	3414	68.280	351	28.431	711	17.064	**113.775**
17	सीतापुर	तदैव	5736	114.720	590	47.790	1195	28.680	**191.190**
18	लखीमपुर खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपुर खीरी	6265	125.300	645	52.245	1305	31.320	**208.865**
19	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	6412	128.240	660	53.460	1336	32.064	**213.764**
20	बदायू	तदैव	9964	199.280	1025	83.025	2076	49.824	**332.129**
21	शाहजहांपुर	उप दु0वि0अ0 शाहजहांपुर	15868	317.360	1632	132.192	3306	79.344	**528.896**
22	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0 पीलीभीत	949	18.980	98	7.938	198	4.752	**31.670**
23	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	21865	437.300	2250	182.250	4555	109.320	**728.870**
24	बागपत	तदैव	4800	96.000	494	40.014	1000	24.000	**160.014**
25	गाजियाबाद	तदैव	405	8.100	42	3.402	84	2.016	**13.518**
26	गौतम बुद्धनगर	तदैव	2632	52.640	271	21.951	548	13.152	**87.743**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	नोएडा								
27	हापुड	तदैव	2485	49.700	256	20.736	518	12.432	**82.868**
28	बुलन्दशहर	तदैव	9056	181.120	932	75.492	1887	45.288	**301.900**
29	सहारनपुर	तदैव	7442	148.840	766	62.046	1551	37.224	**248.110**
30	मुजफ्फरनगर	तदैव	8929	178.580	919	74.439	1860	44.640	**297.659**
31	शामली	तदैव	1217	24.340	125	10.125	254	6.096	**40.561**
32	मुरादाबाद	उप दु0वि0अ0 रामपुर	11787	235.740	1213	98.253	2456	58.944	**392.937**
33	सम्भल	तदैव	2245	44.900	231	18.711	468	11.232	**74.843**
34	अमरोहा/जेपीनगर	तदैव	4953	99.060	510	41.310	1032	24.768	**165.138**
35	रामपुर	तदैव	1977	39.540	203	16.443	412	9.888	**65.871**
36	बिजनौर	तदैव	13974	279.480	1438	116.478	2911	69.864	**465.822**
37	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	2098	41.960	216	17.496	437	10.488	**69.944**
38	चन्दौली	तदैव	13918	278.360	1432	115.992	2900	69.600	**463.952**
39	गाजीपुर	तदैव	4569	91.380	470	38.070	952	22.848	**152.298**
40	जौनपुर	तदैव	2718	54.360	280	22.680	566	13.584	**90.624**
41	सन्तरविदास नगर	तदैव	3051	61.020	314	25.434	636	15.264	**101.718**
42	मिर्जापुर	उप दु0वि0 अ0 मिर्जापुर	2378	47.560	245	19.845	495	11.880	**79.285**
43	सोनभद्र	उप दु0वि0 अ0 सोनभद्र	972	19.440	100	8.100	202	4.848	**32.388**
44	गोरखपुर	उप दु0वि0 अ0 गोरखपुर	6055	121.100	623	50.463	1261	30.264	**201.827**
45	महराजगंज	उप दु0वि0 अ0 महराजगंज	820	16.400	84	6.804	171	4.104	**27.308**
46	देवरिया	उप दु0वि0 अ0 देवरिया	2389	47.780	246	19.926	498	11.952	**79.658**
47	कुशीनगर	तदैव	1016	20.320	105	8.505	212	5.088	**33.913**
48	बस्ती	उप दु0वि0 अ0 बस्ती	4892	97.840	503	40.743	1019	24.456	**163.039**
49	संतकबीरनगर	तदैव	932	18.640	96	7.776	194	4.656	**31.072**
50	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर	696	13.920	72	5.832	145	3.480	**23.232**
51	आजमगढ	उप दु0वि0 अ0 आजमगढ	3841	76.820	395	31.995	800	19.200	**128.015**
52	मऊ	उप दु0वि0 अ0 मऊ	903	18.060	93	7.533	188	4.512	**30.105**
53	बलिया	तदैव	9227	184.540	949	76.869	1922	46.128	**307.537**
54	इलाहाबाद	दु0वि0 अ0 इलाहाबाद	6856	137.120	705	57.105	1428	34.272	**228.497**
55	कौशाम्बी	तदैव	2049	40.980	211	17.091	427	10.248	**68.319**
56	फतेहपुर	तदैव	714	14.280	73	5.913	149	3.576	**23.769**
57	प्रतापगढ	उप दु0वि0 अ0 प्रतापगढ	1043	20.860	107	8.667	217	5.208	**34.735**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

58	कानपुर नगर	उप दु0वि0 अ0 कानपुर	1196	23.920	123	9.963	249	5.976	**39.859**
59	कानपुर देहात	तदैव	1462	29.240	150	12.150	305	7.320	**48.710**
60	फर्रूखाबाद	तदैव	9607	192.140	988	80.028	2002	48.048	**320.216**
61	कन्नौज	तदैव	3358	67.160	345	27.945	700	16.800	**111.905**
62	औरैया	तदैव	640	12.800	66	5.346	133	3.192	**21.338**
63	इटावा	तदैव	666	13.320	69	5.589	139	3.336	**22.245**
64	फैजाबाद	उप दु0वि0 अ0 फैजाबाद	12368	247.360	1272	103.032	2577	61.848	**412.240**
65	बाराबंकी	तदैव	14410	288.200	1483	120.123	3002	72.048	**480.371**
66	अम्बेडकरनगर	उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	15885	317.700	1634	132.354	3309	79.416	**529.470**
67	सुल्तानपुर	तदैव	4892	97.840	503	40.743	1019	24.456	**163.039**
68	अमेठी	तदैव	1998	39.960	206	16.686	416	9.984	**66.630**
69	गोण्डा	उप दु0वि0 अ0 गोण्डा	13741	274.820	1414	114.534	2863	68.712	**458.066**
70	बलरामपुर	तदैव	1971	39.420	203	16.443	411	9.864	**65.727**
71	बहराइच	उप दु0वि0 अ0 बहराइच	2745	54.900	282	22.842	572	13.728	**91.470**
72	श्रावस्ती	तदैव	1040	20.797	107	8.667	217	5.208	**34.672**
	योग-		**375001**	**7500.017**	**38583**	**3125.223**	**78115**	**1874.760**	**12500.000**

(रू0 एक करोड पच्चीस लाख मात्र)

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिवा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।